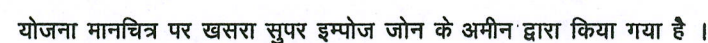


ग्राम :- दहमी कलां , तहसील - साँगानेर , जिला - जयपुर, राजस्थान



1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 18.12.2023 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 9, 15, 16, 17 कुल भूखण्ड 4 कुल क्षेत्रफल 479.86 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डो का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जायेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 360 वीं बैठक दिनांक 24.07.2024 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग मय पाथ-वे/पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यूओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
7. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डो पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

वै.पी.सी. (एल.पी.)
Largest is being approved
is per minute in the
matter.

1152
REVENUE ROAD 18.00 MTR. WIDE

जयपुर विकास प्राधिकरण